खाप पंचायत व हत्याएंः इक्कीसवीं सदी का विरोधाभास

पिंकी आनंद

खाप पंचायतों द्वारा न्याय बांटने का ढोंग व समानांतर अदालतें चलाने की प्रक्रिया इक्कीसवीं सदी का हिस्सा नहीं हो सकतीं। हाल ही में हुई 'सम्मान जनित हत्याएं' जो इन अवैध 'कंगारू' अदालतों के हुक्म पर अंजाम दी गई हैं भारत के नागरिक समाज के अग्रणी विरोधाभास को उजागर करती हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इक्कीसवीं सदी में भी इस प्रकार की निरंकुश अराजकता व हत्याएं निरंतर की जा रही हैं और एक मजबूर नागरिक वर्ग व कमज़ोर राज्य इन पर चुप्पी साधे खड़ा है।

उद्योगपति-विधायक, नवीन जिंदल ने इस चलन को समर्थन देकर अपनी साख बढ़ा ली है। हालांकि शुरूआत में उन्होंने इस मुद्दे पर दिल खोलकर सहयोग दिया था परन्तु अब धीरे-धीरे उन्होंने यह कहना शुरू किया है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखना उनका कर्तव्य है और अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा। यह दूसरी बात है कि उनके वक्तत्व का संशोधन करके उनके मुखर सहयोग को महज मध्यस्थता में तब्दील कर दिया गया है। पर समाज में फैली बुराइयों को सम्बोधित करने के उनके संवैधानिक फ़र्ज़ का क्या हुआ यह कहना मुश्किल है?

हिंदू विवाह कानून, 1956 कई दशक पहले सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अंतर्गत निषेध विवाह सिर्फ़ "सपिंड" संबंधों के बीच थे। सपिंड संबंध तब होता है जब सपिंड रिश्तों में वंशानुगत पूर्वज एक हों। अंतर्जातीय विवाहों पर इसमें कोई रोक नहीं है। पर आज जिस बात की मांग की जा रही वह सगोत्र विवाहों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें निषेध घोषित करने की है। *लता सिंह (2006)* मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मारकंडेय करजू ने अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति पर की गई हिंसा की निंदा करते हुए अभियुक्तों को सज़ा सुनाई थी।

क्या हम उस आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं जहां सदियों पुराने जाति रिवाजों के उन्मूलन के लिए संघर्ष किए जा रहे हैं? क्या हम उस परिवर्तनात्मक और अखण्ड भारत की बात कर रहे हैं जहां उच्च स्तरीय गतिशीलता, मेल-जोल तथा धर्मों व जातियों के बीच सहिष्णुता मौजूद है?

'खाप' शब्द का उपयोग भौगोलिक रूप से एक सामाजिक-राजनैतिक समूह-गुट के लिए किया जाता है। 'खाप' के सदस्य गांव के बड़े-बुजुर्ग होते हैं जो जाति व समुदाय के आधार पर चुने जाते हैं और जो एक सामंतवादी पितृसत्तात्मक सत्ता को बरकरार रखते हैं। उनके आधिपत्य में चौरासी गांव आते हैं। वे इतने प्रभावशाली होते है कि कानूनी कार्यवाई और अदालती पैरवी के बगैर परिवारों को जाति से बहिष्कृत और विवाहों को अवैध घोषित करने के फतवे जारी कर सकते हैं।

इतिहास हमें बताता है कि 'खाप' का गठन चौदहवीं सदी मे उच्चवर्गीय जाटों द्वारा अपनी सत्ता और आधिपत्य संघटित करने के लिए किया गया था। खाप पंचायतें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कुछ हिस्सों में प्रचलित हैं। खाप क्षेत्र में रहने वालों के लिए एक ही गोत्र और अपने गांव के दूसरे गोत्रों के बीच विवाह करने पर प्रतिबंध है। दूसरे गांव में रहने वाले परन्तु एक ही उप-जाति के लोगों के बीच भी विवाह निषेध है। इन पंचायतों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते परन्तु ये काफी प्रभावशाली होती हैं और सरकार इनके निर्णयों और कार्यवाई को अवैध घोषित करने में असफल रही है। खाप पंचायत की समानान्तर अदालतों में न्याय करने के नाम पर किए अन्यायी फैसलों के कई उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं।

खाप पंचायतों द्वारा प्रतिकारी न्याय एक बर्बर प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। प्रजातंत्र में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक़ है परन्तु न्याय करना हर इंसान का काम नहीं है। यह कानून की प्रक्रिया का विरोध है। मुंबई उच्च न्यायालय के *माधवराव बनाम राघवेंद्र राव (1945)* मामले में सगोत्र विवाहों को वैध माना गया था। इस निर्णय में कहा गया है कि गोत्र की मौजूदा परिभाषा *आठ ऋषियों के वंशज जो अनेक परिवारों में फैले हुए हों,* आज के दौरे में सुसंगत नहीं है। अदालत के अनुसार यह सुझाव मानना बेबुनियाद है कि सभी ब्राह्मण परिवार, उनके गोत्र-प्रवार एक ही वंशावली है जिसका संकेत उनके गोत्र व प्रवारों के नामों से मिलता है।

जब एक समाज का विकास होता है तब नागरिक समाज मानक विरोधी पुराने रिवाज पीछे छूट जाते हैं। सती, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। संघर्ष होना अच्छा है। संघर्ष जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब हलचल होती है, एक नया संतुलन बनाया जाता है और एक नई व बेहतर व्यवस्था का उदय होता है। मौजूदा संघर्ष से भी कोई हल ज़रूर निकलेगा। समाज के सभी वर्ग चाहे वे आम नागरिक हों, नेता, राज्य, केंद्र या कोई और सभी इस मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए बाध्य होंगे। हत्या तो आखिर हत्या ही है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।

पिंकी आनंद *सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।*